FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

सन्तोष पत्नि मदनलाल चौधरी जाति जाट वगै. बनाम बजरंगसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत वगै.
सा. इन्दोखा तह. नावां सा. इन्दोखा तह. नावां

किस्म मुकदमां : 212 आरटीए मुकदमा नम्बर 0153/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
08.04.2024	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम इन्दोखा के खसरा नम्बर 173, 174, 175 कुल रकबा 11.56 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 46 बिना विधिवत भू–विभाजन करवाये प्रार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 49 उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत डाक नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 13.05.2024 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
15/5/24	पत्रावली प्रार्थीगण की ओर से प्रा०पत्र प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रा० पत्र पत्रावली तलब कर जरिये विड्रोल खारिज करमाने पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए जरिये विड्रोल खारिज किया जावें। अत: प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र [illegible] विड्रोल खारिज किया जाता है। [illegible] होकर नम्बर से कम [illegible] हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.15 15:16:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner